FIVE RUPEES FIVE RUPEES

194

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

चिन्तामन तनय श्री सुन्दरलाल चौरसिया
निवासी हटा तहसील हटा जिला दमोह म.प्र. --- आवेदक
पुनरीक्षणकर्ता

।। बनाम ।। R.1135/III/05

1- रामप्रसाद तनय चिन्नीलाल काछी,
2- भूरीबाई पिता चिन्नीलाल काछी,
दोनों निवासी हटा तहसील हटा,
जिला दमोह म.प्र. --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

प्रतिअपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 235/अ-6/वर्ष 1998-99 में दिनांक 06-04-2005 को पारित आदेश के विरूद्व निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, निम्न न्यायालय का आदेश अवैध्य एवं अनुचित है ।

2- यह कि, निम्न न्यायालय ने अनावेदकगण के बैनामा दिनांक 08-02-75 को वैध्य एवं प्रमाणित मानकर तथा उसके आधार पर उसकी अपील स्वीकार करके तथा विवादित भूमि पर उसका नामांतरण करने का आदेश पारित करके तथा निम्न दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त करके कानूनी त्रुटि की है ।

3- यह कि, निम्न न्यायालय ने अनावेदकगण के बैनामा दिनांक 08-02-75 के आधार पर नामांतरण में हुये विलम्ब को कानूनी महत्व एवं उसके प्रभाव को समझने में भूल की है । निम्न न्यायालय ने लम्बी अवधि तक अनावेदकगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी न होने के प्र कानूनी प्रभाव एवं उसके महत्व को समझने में कानूनी त्रुटि की है ।

4- यह कि, निम्न न्यायालय ने बैनामा दि. 08.02.75 का विक्रय धन विक्रेताओं को धन न मिलने के कारण विक्रय पत्र को मान्य करके कानूनी त्रुटि की है जबकि साक्षियों ने यह प्रमाणित

8020
14/7/05
आयुक्त कार्यालय से प्राप्त
21-7-05

K. 1135-[illegible] (स्टेट)

27/1/[illegible]

31.8.16. प्रकरण पेश हुआ। [illegible] पेशी पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है परन्तु [illegible] / [illegible] आवेदक [illegible] [illegible] [illegible] से आवेदक को प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
निरीक्षक

B [initials]

शा.मु.प्रे.—321—फा.सं.—2[illegible]-2012—10,000.